उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 10 | 16-31 मई 2022 | ₹ 20/-

कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

- कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर न्यायालय में सुनवाई
- पाकिस्तान गृहयुद्ध की राह पर
- सऊदी अरब में दो शिया नेताओं को फांसी
- जामा मस्जिद की मरम्मत पर 50 करोड़ खर्च होने का अनुमान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा 04
हज करना हुआ महंगा 08
असम के मुख्यमंत्री द्वारा मदरसे बंद करने पर जोर 10
कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर न्यायालय में सुनवाई 13
अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा 16

विश्व

पाकिस्तान गृहयुद्ध की राह पर 20
तालिबान का घाटे वाला पहला बजट 23
ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका कटिबद्ध 24
पाकिस्तान में दो सिख व्यापारियों की हत्या 26
अल्पसंख्यकों की हत्या करने वालों को फांसी 26

पश्चिम एशिया

लेबनान में संसदीय चुनाव 27
आब-ए-जमजम ले जाने पर प्रतिबंध 28
तुर्की द्वारा इस्लाम विरोधी देशों को नाटो में शामिल करने का विरोध 29
महिला सांसद के त्यागपत्र से इजरायल सरकार को झटका 30
सऊदी अरब में दो शिया नेताओं को फांसी 31

अन्य

जामा मस्जिद की मरम्मत पर 50 करोड़ खर्च होने का अनुमान 32
नवाब मलिक की पत्नी और बेटों की गिरफ्तारी की संभावना 33
पासदारान-ए-इंकलाब आतंकवादी संगठनों की सूची में 33
राजस्थान से राज्य सभा में अब तक आठ महिलाएं 34
पूर्वोत्तर में उग्रवाद में कमी 34

सारांश

देश में यह मांग जोर पकड़ रही है कि नरसिम्हा राव के शासनकाल में संसद से पारित किए गए उपासना स्थलों की यथास्थिति वाले कानून को रद्द किया जाए और हिंदुओं के जिन उपासना स्थलों को विधर्मी आक्रांताओं ने मस्जिदों और दरगाहों में बदला था उन्हें हटाया जाए। इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काफी गरमाया हुआ है। इसके साथ ही अब मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि की मांग भी तेजी से जोर पकड़ रही है।

पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। हाल ही में निवर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था और उन्होंने यह मांग की कि यदि एक सप्ताह के अंदर देश में नए सिरे से चुनाव करवाने की घोषणा नहीं की गई तो वे अपने इस आंदोलन को और भी तेज कर देंगे। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना और पुलिस की सहायता से इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने की घोषणा की थी, मगर पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान के गृहमंत्री ने देश में नए चुनाव करवाने की मांग को ठुकरा दिया है।

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को अदालत ने आतंकवादियों को धनराशि बांटने के आरोप में उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि यासीन मलिक के पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से गहरे रिश्ते थे और वह हवाला के माध्यम से दुबई में बनाई गई फर्जी कंपनियों द्वारा कश्मीरी मूल के व्यापारियों के सहयोग से आतंकियों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराया करता था, जिसका इस्तेमाल हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था। गौरतलब है कि यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तानी है और उसकी एक बेटी भी है। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई है उससे साफ है कि यासीन मलिक के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये दोनों देश यूरोप में इस्लाम के खिलाफ चल रहे अभियान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस वजह से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ तुर्की के संबंधों में काफी खटास आ गई है।

सरकार के आश्वासन के बावजूद इस वर्ष हज यात्रा काफी महंगी हो गई है। हालांकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह सफाई दी है कि इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों पर अनेक तरह के कर लगा दिए हैं। हज यात्रा गत दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बंद थी, अब पुनः शुरू हो गई है। इस बार सऊदी अरब ने भारतीय हज यात्रियों की संख्या में भारी कटौती की है। मुस्लिम संगठनों की मांग है कि हज यात्रा के प्रबंधों की जिम्मेवारी पहले की तरह विदेश मंत्रालय को ही सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि जबसे हज यात्रा के प्रबंधन का काम केंद्रीय हज कमेटी को सौंपा गया है, हज यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय

कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

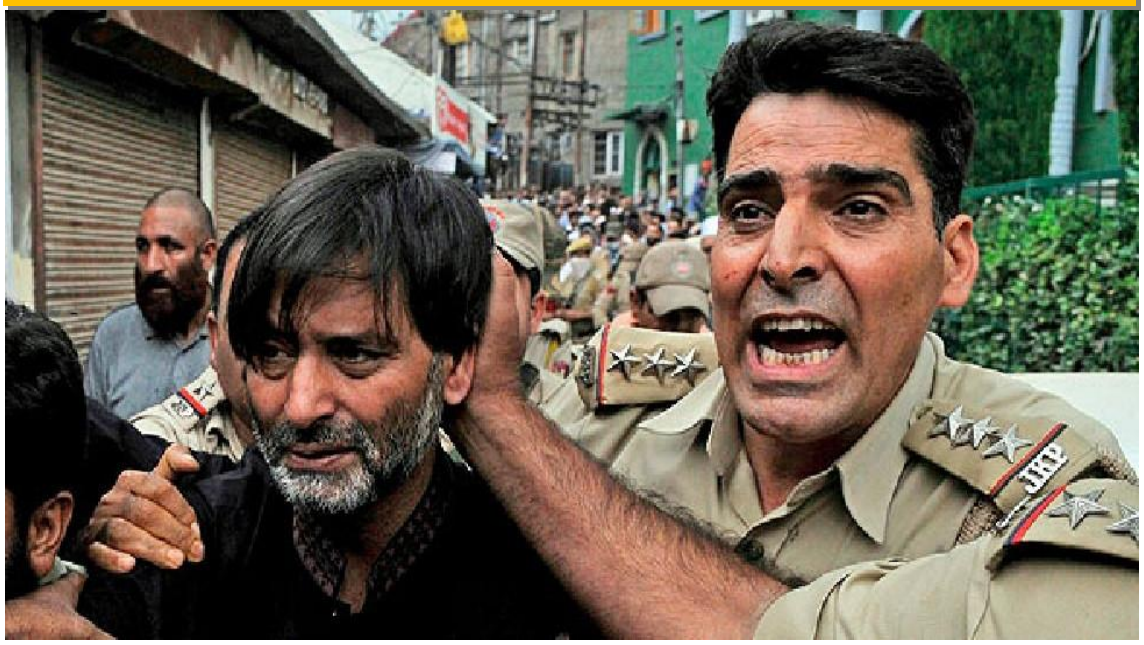

इंकलाब (26 मई) के अनुसार दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के प्रमुख एवं अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यासीन के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की थी। उस पर सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने और आतंकवाद के लिए धनराशि इकट्ठा करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी ने अदालत में एक चार्जशीट पेश की थी, जिसमें यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। अदालत ने यासीन मलिक को इस मुकदमे में 19 मई को ही दोषी करार दिया था, मगर सजा की घोषणा अब की है। एक विदेशी संवाद समिति के अनुसार यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं। अगर आजादी की मांग करना जुर्म है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सजा सुनाने से कुछ घंटे पहले जब यासीन मलिक को अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने उसे बताया कि जांच एजेंसी ने उसे मौत की सजा देने की मांग की है। इस पर यासीन ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि वह अदालत में अपना पक्ष पेश नहीं करेगा। अदालत को जो उचित लगे वह करे। उसने कहा कि अगर वह आतंकवादी था तो इस देश के सात प्रधानमंत्रियों ने उससे मुलाकात क्यों की थी? उसे पासपोर्ट क्यों जारी किया गया था? और उसे दुनिया के विभिन्न देशों में भाषण देने की अनुमति क्यों दी गई थी? इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इन बातों का समय अब गुजर चुका है। इसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इस फैसले के आने के बाद श्रीनगर और जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में हड़ताल रही। श्रीनगर के मैसूमा क्षेत्र में कुछ नौजवानों ने प्रदर्शन किए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद

महिलाओं ने भारी संख्या में सजा दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अलग-थलग करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरी कश्मीर घाटी में प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी।

56 वर्षीय यासीन मलिक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2019 में उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया और अब तक उससे किसी को मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई। यासीन मलिक प्रारंभ में इस्लामिक स्टूडेंट लीग का एक नेता था और उसने 1989 में घाटी में सशस्त्र हिंसा भड़काने में हिस्सा लिया था। प्रारंभ में जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट एक आतंकवादी संगठन था, जिसकी जड़ें विदेशों तक फैली हुई थीं। इसके एक नेता मकबूल भट्ट ने इंग्लैंड में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। बाद में मकबूल बट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था।

यासीन मलिक ने 1993 में लिब्रेशन फ्रंट को एक राजनीतिक संगठन में बदलने की घोषणा की और कहा कि भविष्य में फ्रंट कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2019 मं लिब्रेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2009 में यासीन मलिक ने एक पाकिस्तानी कलाकार मुशाल हुसैन मलिक से शादी कर ली और 2012 में उसकी एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रजिया सुल्ताना है। उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में यासीन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस मुकदमे में अदालत ने अन्य कई पृथकतावादी नेताओं जैसे फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, सैयद सलाहुद्दीन, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह (अली शाह गिलानी के दामाद), नईम अहमद खान, मोहम्मद अकबर खांडे, मेहराजुद्दीन कलवाल, पीर सैफुल्लाह, पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद, जहूर अहमद वटालो और नवल किशोर कपूर शामिल हैं। सलाहुद्दीन इस समय पाकिस्तान में है। जबकि अन्य सभी अभियुक्त जेल में हैं। इस मुकदमे में आशिया अंद्राबी, कामरान यूसुफ और अहमद बट्ट को पहले ही बरी किया जा चुका है।

औरंगाबाद टाइम्स (27 मई) के अनुसार अब यासीन मलिक को उम्र भर दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही गुजारनी होगी। उसे जेल के शेष 13000 कैदियों से अलग रखा जाएगा। सरकार ने उसको बैरक के आसपास कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि यासीन पहले से ही जेल नंबर 7 में है और वह वहीं रहेगा। उसे एक अलग कमरे में रखा गया है और उसकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। उसके कमरे में दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जेल में उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। यह फैसला सुरक्षा कारणों से किया गया है। जहां तक तिहाड़ की सात नंबर जेल का संबंध है वहां पर कई बहुचर्चित हस्तियां कैदी के रूप में रह चुकी हैं। इनमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा, सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रांय और क्रिश्चियन मिशल आदि शामिल हैं।

पाकिस्तानी अखबार **मशरिक** (27 मई) के अनुसार पाकिस्तानी संसद ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाने की निंदा की है और कहा है कि उसे भारत सरकार ने झूठे आरोपों में फंसाया है, क्योंकि वह कश्मीरियों के लिए आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी समाचारपत्र के अनुसार यासीन मलिक पर दशकों से हिंदुस्तानी सरकार झूठे मुकदमे चलाती आ रही है। इसके बावजूद यासीन मलिक कश्मीर की आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा। समाचारपत्र ने कहा है कि इस सजा के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पूर्ण हड़ताल रही। पाकिस्तान के अनेक नगरों में यासीन के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किए गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने

भारतीय राजदूत को बुलाकर यासीन मलिक को दी गई सजा पर उनसे विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार कश्मीरियों की आजादी की भावना को कभी कुचल नहीं सकेगी।

अवधनामा (27 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अब लंबे संघर्ष के बाद यासीन मलिक थक चुका है। यहां तक कि उसने अपने वकीलों को भी इस मुकदमे से अलग कर दिया था, क्योंकि उसने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया है, इसलिए वह उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती नहीं दे सकता। उसे अब उम्र भर कैद में ही रहना होगा। हालांकि उसे कठोर कैद की सजा दी गई है, मगर सुरक्षा कारणों से उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा। यह फैसला जेल के नियमों के तहत किया गया है। यासीन मलिक का जन्म 1966 में कश्मीर में हुआ था। प्रारंभ से वह कश्मीर की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थक रहा है। कश्मीर में पृथकतावाद का एक अध्याय समाप्त हो गया है।

टिप्पणी: अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इन पृथकतावादियों को पाकिस्तान से नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त होती रही है। यह आर्थिक सहायता उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के नेता हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सलाहुद्दीन के माध्यम से प्राप्त होती थी। यासीन ने यह स्वीकार किया था कि आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद उसने पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ाया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हालांकि यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की थी, मगर अदालत ने कहा कि यह 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' केस नहीं है। इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान से हवाला द्वारा एक कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली को घाटी में आतंकवाद भड़काने के लिए धनराशि प्राप्त होती थी, जिसे यासीन मलिक और उसके साथी घाटी में हिंसक गतिविधियां भड़काने और पथराव करन वालों को बांटा करते थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए इन पृथकतावादियों को फंड उपलब्ध करवाने के

उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात में फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धनराशि और अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराए जाते थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस संबंध में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में अनेक स्थानों पर छापे मारकर इस गिरोह को मिलने वाली विदेशी सहायता के बारे में प्रमाण इकट्ठे किए थ। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यालय से भी आतंकवादियों को धनराशि बांटी जाती थी। इस विदेशी धनराशि से यासीन मलिक ने कश्मीर घाटी में 15 करोड़ की अचल संपत्ति अर्जित की। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी से उसका संपर्क उसकी पाकिस्तानी पत्नी के माध्यम से था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में इस बात के भी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि कश्मीरी व्यापारी वटाली को पाकिस्तान से नियमित धनराशि प्राप्त होती थी और गुरुग्राम में उसके निवास स्थान पर छापे के दौरान यह धनराशि बरामद भी की गई थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि यासीन मलिक की 12 बेनामी अचल संपत्तियां हैं। इनमें से पांच संपत्तियां श्रीनगर में हैं। ये संपत्तियां मैसूमा, लाल चौक और बोहरी कदल में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यासीन द्वारा घाटी में कई स्कूलों का संचालन भी किया जा रहा है।

रॉ के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत ने अपनी पुस्तक में यह दावा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उनके प्रयास से यासीन मलिक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया था और यह घोषणा की थी कि वह भविष्य में कश्मीर की आजादी के लिए गांधीवादी तरीका अपनाएगा। उन्होंन अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जब यासीन 1991-1994 तक दिल्ली के महरौली में नजरबंद था तो उन्होंने उससे दो बार मुलाकात की थी। इस मुलाकात की व्यवस्था एम्स के एक डॉक्टर उपेंद्र कौल के माध्यम से हुई थी, जिन्होंने मलिक का इलाज किया था। डॉ. कौल ने बताया कि यासीन मलिक का इलाज उन्होंने भारत सरकार के इशारे पर किया था और उन्हें यह संकेत दिया गया था कि भारत सरकार शीघ्र ही यासीन मलिक को रिहा करने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि यासीन मलिक से उन्होंने कभी भी राजनीतिक चर्चा नहीं की। जब डॉक्टर की मां का निधन हुआ था तो संवेदना व्यक्त करने के लिए यासीन मलिक विशेष रूप से श्रीनगर से दिल्ली आया था। दुलत का कहना है कि यासीन मलिक की वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से गहरी दोस्ती थी और उसके संबंध कश्मीर के तत्कालीन मुख्य सचिव और नेहरू परिवार के नजदीकी व्यक्ति वजाहत हबीबुल्लाह से भी थे।

दुलत ने अपनी पुस्तक में यह नहीं लिखा कि इन पृथकतावादी कश्मीरी नेताओं से भारत सरकार की वार्ता क्यों भंग हुई थी? उन्होंने यह भी लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने क लिए 'सफर-ए-आजादी' नामक जो अभियान चलाया गया था, उसमें भी यासीन मलिक का सहयोग प्राप्त था। इसी दौरान यासीन मलिक पाकिस्तान आता जाता रहा और वहां उसका परिचय एक पाकिस्तानी महिला से हुआ, जिसके प्रेमजाल में वह फंस गया और बाद में उससे शादी कर ली। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए यासीन ने कहा था कि उसके तीन चेहरे हैं। पहला 1984-1988 का है जब वह एक छात्र नेता के रूप में कश्मीर की आजादी के लिए संघर्षशील था। 1988 से 1994 तक उसकी भूमिका एक आतंकवादी की थी और इसके बाद उसने गांधीवादी तरीका अपनाया। जब 2013 में कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी तो यासीन मलिक पाकिस्तान गया और उसने इस फांसी के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल की थी और कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देने से कश्मीर में आतंकवाद और भड़केगा। उस समय उसकी मुलाकात हाफिज सईद से भी हुई थी।

हज करना हुआ महंगा

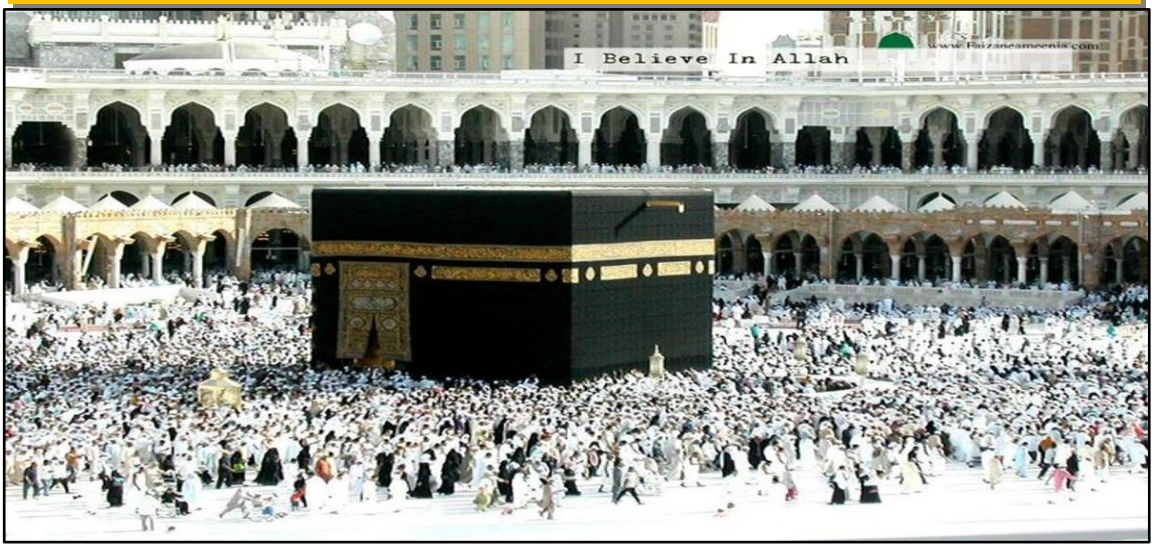

इंकलाब (29 मई) के अनुसार भारतीय मुसलमानों के लिए इस वर्ष से हज यात्रा महंगी हो गई है। इस वर्ष प्रत्येक हज यात्री को लगभग चार लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जबकि 2019 में यह खर्च लगभग ढ़ाई लाख था। हज कमेटी के अधिकारियों के अनुसार हवाई जहाज के किराए, टैक्स, आवास, यातायात और खाने-पीने के मूल्य में वृद्धि होने के कारण यह खर्च बढ़ा है। इसके अतिरिक्त भारतीय रुपये की तुलना में रियाल की कीमत भी बढ़ी है। गत दो वर्षों के दौरान कोरोना के कारण हज यात्रा बंद थी। इस वर्ष भारतीय हज यात्रियों की संख्या भी सऊदी सरकार ने कम कर दी है। पहले 1 लाख 40 हजार हज यात्री भारत से हज यात्रा करने के लिए जाते थे, मगर इस वर्ष इनकी संख्या घटाकर 80 हजार के लगभग कर दी गई है। गौरतलब है कि हज यात्रा के दौरान हवाई जहाज का किराया आम दिनों की तुलना में बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाता है। सरकारी आकड़ों के अनुसार 2015 में हज यात्रा पर 1 लाख 69 हजार 800 रुपये खर्च आता था। जो 2016 में बढ़कर 1 लाख 84 हजार 500 हो गया। 2017 में यह बढ़कर 2 लाख 2750 हो गया। 2018 में इसमें और वृद्धि हुई और यह बढ़कर 2 लाख 26 हजार तक पहुंच गया। 2019 में यह बढ़कर 2 लाख 53 हजार तक पहुंच गया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार हज यात्रा के खर्च में हुई वृद्धि पर सफाई देते हुए सरकार की ओर से यह दलील दी गई है कि इस खर्चे की वृद्धि में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। बल्कि सऊदी सरकार ने कई तरह के नए कर लगा दिए हैं और आवास का खर्च भी बढ़ा दिया है, जिसक कारण हज महंगा हुआ है। सरकार ने यह भी कहा है कि हवाई जहाज का किराया हमने कम किया है, मगर दूसरी ओर हज यात्रा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं ने इस वृद्धि के लिए सरकार को निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि जब उमरा करने पर सिर्फ 1 लाख 10 हजार खर्च होता है तो हज यात्रा करने पर इसमें चार गुना वद्धि किए जाने का क्या कारण है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मूल्य वृद्धि में हमारा कोई हाथ नहीं है।

इससे पूर्व मुख्तार अब्बास नकवी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया था कि सरकार क प्रयासों से हज यात्रा के खर्च में

कोई वृद्धि नहीं होगी और हज यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। जबकि अंजुमन फलाह हज (हाजियों के कल्याण का संगठन) के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद जहूर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि केंन्द्रीय हज समिति ने इस वर्ष हज का खर्च तीन लाख 90 हजार तय किया है। यह धनराशि बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इस बार हज यात्रियों में हज करने को लेकर विशेष उत्साह नहीं है। जब उमरा करने पर सिर्फ 1 लाख 10 हजार खर्च होता है। हालांकि दोनों में एक ही स्थान पर जाना होता है और खर्च भी लगभग बराबर है, फिर उमरा और हज के खर्चे में इतना फर्क क्यों है? हज के दौरान पांच दिनों का जो प्रबंध होता है वह अलग से होता है। इसलिए अगर दो-ढ़ाई लाख तक खर्च हो तो वह समझ में आता है। उन्होंने कहा कि 1996 में जब वे हज करने के लिए गए थे तो प्रत्येक हज यात्री को खर्च के लिए 2100 रियाल दिए जाते थे। हालांकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मगर हाजियों को दी जाने वाली सऊदी मुद्रा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने यह शिकायत की कि इस बार हाजियों को जिस स्थान पर ठहराया जा रहा है वह काबा से पांच किलोमीटर दूर है। इसलिए लोगों के लिए पांच बार आना-जाना बेहद कठिन होगा। उन्होंने शिकायत की कि हज कमेटी हाजियों से मुनाफा कमा रही है और उन्हें हज कमेटी से काफी सामान मनमाने दाम पर खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है।

इंकलाब (28 मई) के अनुसार हज यात्रियां की पहली उड़ान दिल्ली से 2 जून को शुरू होगी। इस वर्ष 21 स्थानों के बदले सिर्फ 10 स्थानों से ही हज यात्री विमान द्वारा मक्का रवाना होंगे। जो शिया यात्री जा रहे हैं उन्हें नजफ की यात्रा के लिए 32 हजार रुपये अधिक जमा करने होंगे। लखनऊ से पहली उड़ान 6 जून का शुरू होगी और यह सिलसिला 15 जून तक जारी रहेगा। हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला 14 जुलाई से शुरू होगा जो कि 28 जुलाई तक जारी रहेगा। हज कमेटी के सचिव एस.पी. तिवारी ने कहा कि प्रत्येक हज यात्री को दो बैग सामान ले जाने के लिए दिए जा रहे हैं।

रोजनामा सहारा (25 मई) के अनुसार हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगा दिए गए हैं। विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हज यात्रा का प्रबंध हज कमेटी की बजाय विदेश मंत्रालय को पुनः सौंपा जाए। उनका कहना है कि हज यात्रियों के मामले में काफी घोटाला हुआ है, जिसके कारण हज यात्रियों का खर्च बढ़ गया है। हज कमेटी से जुड़े रहे नौशाद आजमी ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में हज कमेटियों की बैठकों का जो सिलसिला होता था वह मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद समाप्त हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जबसे हज यात्रा का प्रबंध हज कमेटी के तहत आया है हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं बंद की जा रही हैं। पहले हज यात्री वाराणसी, गया, रांची, नागपुर, औरंगाबाद, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, जयपुर और कालीकट से भी जाते थे, मगर अब इन स्थानों से हज यात्रियों के लिए विमान सेवा बंद कर दी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हज कमेटी में भारी घोटाला हो रहा है। मंत्री बार-बार यह दावा करते हैं कि हज यात्रा में पारदर्शिता लाई जा रही है, मगर यह दावा सरासर खोखला है और वर्तमान सरकार हज यात्रा की आड़ में राजनीति कर रही है। उन्होंने यह कहा कि सरकार ने यह वायदा किया था कि जलयानों द्वारा हज यात्रियों को भेजे जाने का सिलसिला पुनः शुरू किया जाएगा, मगर आज तक यह वायदा पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से हज यात्रियों को जो सब्सिडी दी जाती थी वह भी बंद कर दी गई है।

असम के मुख्यमंत्री द्वारा मदरसे बंद करने पर जोर

इंकलाब (24 मई) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस्लामिक मदरसों को निशाना बनाते हुए कहा कि मदरसों का नामोनिशान मिट जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस्लामिक मदरसों को बंद करने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करता है वह दरअसल हिंदुस्तानी मुसलमानों का दोस्त है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने अपने राज्य में सरकारी सहायता से चलने वाले सभी मदरसे बंद कर दिए हैं। अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है तो वह अपने घर में पढ़े। उसके लिए सरकार को धनराशि खर्च करने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि इस्लामिक मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वे पूरे कुरान को याद कर लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस देश में रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू थे। अगर कोई मुसलमान बच्चा बुद्धिमान है तो मैं उसके लिए उसक हिंदुओं के जींस को महत्व दूंगा। शर्मा ने कहा कि मदरसे का शब्द ही समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसे उनके दिमाग में रहेंगे बच्चे कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि घर वापसी का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आना चाहे उसे स्वीकार किया जाए। यह सिर्फ एक विशेष वातावरण और शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि असम की 36 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग स्थानीय मुसलमानों का है। जो आमलोगों जैसी ही संस्कृति का पालन करते हैं और आमलोगों जैसी ही भाषा बोलते हैं। दूसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लाम को स्वीकार किया था। तीसरा वर्ग उनका है जो कि विदेशों से आए और वे अपने आप को भारतीय संस्कृति का अंग नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान बहुत सांप्रदायिक हैं और वे असम की संस्कृति को तबाह कर रहे हैं।

हाल ही में पुलिस हिरासत में एक मुसलमान की हत्या के बाद वहां पर जो दंगे हुए थे, उसके बाद नगांव जिला में दंगाई मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये दंगे उन 12 जिलों में से एक में हुए जहां पर घुसपैठिए बहुमत में हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अवैध रूप से

असम में घुसपैठ करने वाले भूमि और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा न करें। समाचारपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री इससे पूर्व ही असम के सभी मदरसों को बंद कर चुके हैं और उन्हें सरकारी स्कूलों में बदल दिया गया है। जनवरी 2021 में असम विधान सभा ने मदरसा एजुकेशन (प्रोविंसियलाइजेशन) एक्ट को रद्द करके इस्लामिक मदरसों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इस फैसले को जब कुछ लोगों ने असम उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो उच्च न्यायालय ने इस सरकारी फैसले को बरकरार रखा।

इंकलाब (19 मई) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भविष्य में किसी भी नए मदरसे को किसी तरह का सरकारी अनुदान नहीं देने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि भारी संख्या में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसे चलाए जा रहे हैं और उनकी आड़ में सरकार से मोटी रकम वसूली जा रही है। बताया जाता है कि जब सरकार ने यह फैसला किया था तो इसे कुछ मदरसे वालों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके बाद न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते सरकार ने इस्लामिक मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था, मगर जब इन मदरसों की जांच की गई तो यह मालूम हुआ कि इन मदरसों का पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि भविष्य में किसी भी नए मदरसे को किसी तरह का अनुदान न दिया जाए।

गौरतलब है कि 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने इस्लामिक मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था और इस संबंध में कुछ नियम भी बनाए थे, जिसके तहत 535 इस्लामिक मदरसों को मान्यता देने के बाद सरकारी अनुदान देने का फैसला हुआ था। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पांच वर्ष की अवधि में इन मदरसों को सरकारी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया था। इस पर कुछ मदरसों के प्रबंधकों ने अदालत की शरण ली थी। मऊ जिला में अनेक फर्जी मदरसों का पता चला था इस पर सरकार ने उन्हें अनुदान न देने का फैसला किया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुफियान निजामी ने कहा है कि योगी सरकार का यह फैसला इस्लाम विरोधी है।

पुरानी सरकार ने जो फैसला किया है उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मान्यता प्राप्त इस्लामिक मदरसों के दस्तावेजों की जांच करवानी चाहिए और जिनके दस्तावेज सही हैं उन्हें सरकारी अनुदान मिलनी चाहिए।

इंकलाब (23 मई) ने अपने संपादकीय में इस्लामिक मदरसों को बंद करने और सरकारी अनुदान न देने के फैसले पर असम और उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम को अगर जिंदा रखना है तो इन मदरसों को भी जिंदा रखना होगा। इन मदरसों से हमें हाफिज क़रान और उलेमा मिलते हैं जो इस्लाम के किलों की रक्षा करते हैं और इसके प्रचार व प्रसार में अपनी भ्मिका निभाते हैं। अगर इस्लामिक मदरसे बंद हो जाएंगे तो नई पीढ़ी को इस्लाम की कोई जानकारी नहीं रहेगी। मुस्लिम सामाजिक ढांचा समाप्त हो जाएगा। मुसलमानों को न तो मस्जिदों के इमाम मिलेंगे जो पांच वक्त की नमाज पढ़ा पाए और न ही मुफ्ती ही होंगे जिनसे इस्लाम के शरई मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि कोरोना के कारण अनेक इस्लामिक मदरसे बंद हो गए थे, इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमान मिलकर उन्हें दोबारा शुरू करें और उनमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजें, ताकि दीन के इन किलों की रक्षा हो सके और इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार हो सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 मई) ने अपने संपादकीय में मदरसों के बारे में दिए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के बयान की आलोचना की है और कहा है कि नए-नए भाजपाई बने शर्मा अपने को मोदी और शाह का वफादार सिद्ध करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। वे आरएसएस के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए फिरकापरस्ती की जहर में डूबे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि शर्मा स्वयं वकील हैं, इसके बावजूद वे संविधान के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। असम में भारी बाढ़ आई हुई है और वे बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में अभी तक विफल रहे हैं। जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वे अपन आकाओं की तरह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उनके सिर पर आरएसएस को नारंगी ऐनक चढ़ी हुई है, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ अपनी गद्दी की चिंता है। वे असम के मुसलमानों को आपस में लड़वाकर अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं। इस तरह के बयान देश के संविधान और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के जहरीले बयान देने से पहले यह याद रखना चाहिए कि वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं।

इत्तेमाद (21 मई) ने अपने संपादकीय में यह शिकायत की है कि भाजपा ने अब मस्जिदों के बाद दीनी मदरसों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि उपासना स्थलों को यथावत रखने का कानून मौजूद होते हुए भी अदालतें मनमाने ढंग से इस कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। इसके कारण पुराने विवादों के साथ-साथ नए विवाद भी पैदा हो रहे हैं। नई मस्जिदों पर दावे सामने आ रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश कभी हरियाणा में नमाज और अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र सरकार और उसके नेताओं ने इन मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। एक ओर धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर घोलने का काम हो रहा है। दूसरी ओर, कुछ संगठन मुसलमानों की मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद को हनुमान मंदिर करार दे दिया गया है और अब अलीगढ़ की एक मस्जिद के बारे में भी यह दावा किया जा रहा है कि वह मंदिर पर बनी है। सबसे विचित्र बात यह है कि मीडिया इन विवादों को

खूब नमक मिर्च लगाकर परोस रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया है।

ताजा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस्लामिक मदरसों को बंद करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में नए इस्लामिक मदरसों को न तो स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे सरकार अनुदान देगी। 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के तहत बजट में 479 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। राज्य में 16 हजार इस्लामिक मदरसे हैं। इनमें 558 को अखिलेश सरकार के समय से अनुदान दिया जाता है। इन मदरसों में 20 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार ने 2013 में दीनी मदरसों को सबसे पहले अनुदान देने का सिलसिला शुरू किया। शुरू में 146 मदरसों को अनुदान दिया जाता था। अब सरकार ने 5 वर्षों में किसी भी मदरसे को कोई अनुदान नहीं दी है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा सरकार ने इन मदरसों को विदेशों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।

हाल ही में सरकार ने इन मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि राष्ट्रगान छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए शुरू किया जा रहा है। दु:ख की बात यह है कि भाजपा सरकार इन इस्लामिक मदरसों पर जबरन हिंदू संस्कृति लादना चाहती है। वहां पर वंदे मातरम् गाने और गीता श्लोक पढ़ने का दबाव डाला जाता है। मध्य प्रदेश में भी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। अब यह बीमारी कर्नाटक और भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी फैल रही है और इस्लामिक मदरसों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर न्यायालय में सुनवाई

औरंगाबाद टाइम्स (22 मई) के अनुसार वकीलों के बहिष्कार के कारण मथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुनवाई को 20 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश शर्मा ने बताया कि गोपाल बाबा ने अपने आप को भगवान कृष्ण का अनुयायी

करार देते हुए कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद को हटाने की मांग के सिलसिले में 20 सितंबर 2021 को एक मुकदमा दायर किया था, जिसे एडिशनल सिविल जज की फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दिया गया। अदालत ने यह फैसला किया है कि संसद का उपासना स्थल कानून इस मामले में लागू नहीं होता, इसलिए अदालत इसकी सुनवाई करेगी। इस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, इंतेजामिया कमेटी, मस्जिद ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि तय की थी। मगर उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव प्रफुल्ल कमल के एक बयान के कारण उत्तर प्रदेश के वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर रखा है, इसलिए अब इस मामले में सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

इंकलाब (24 मई) के अनुसार मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें गर्भगृह के शुद्धिकरण की अनुमति मांगी गई है। यह शुद्धिकरण यमुना के पवित्र जल से किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने स्वयं को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कोषाध्यक्ष बताया है। दिनेश चंद्र शर्मा ने अपने वकील दीपक शर्मा के माध्यम से यह याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हं केशवदेव मंदिर के गर्भगृह के शुद्धिकरण की अनुमति दी जाए।

सियासत (20 मई) के अनुसार अब कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग शुरू हो गई है। यह मुकदमा विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में कटरा केशवदेव में ओरछा के राजा द्वारा निर्माण किए गए कृष्ण मंदिर को गिरा दिया था और उसके स्थान पर 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने यह मुकदमा बाल कृष्ण के मित्र के रूप में दायर किया है। याचिकाकर्ता ने सरकार से मांग की थी कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13 एकड़ भूमि उन्हें वापस दी जाए, जिस पर नाजायज कब्जा करके मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईदगाह का निर्माण किया था। इस याचिका में संसद द्वारा पारित धर्म स्थल कानून 1991 को भी चुनौती दी गई है और कहा गया है कि धार्मिक स्थानों का प्रबंध करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में है और वही इस संदर्भ में कानून बना सकती है। संसद ने यह कानून बनाकर संविधान के संघीय ढांचे में हस्तक्षेप किया है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। इस विवाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा के आसपास के आठ जिलों की पुलिस को सतर्क कर दिया है, ताकि शांति व्यवस्था बनाने में कोई परेशानी न हो। आगरा जोन के इंस्पेक्टर जनरल ने कहा है कि हमने यह निर्देश दिया है कि शरारती तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और जो कोई सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करता है उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए।

अवधनामा ने 17 मई के संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि आजकल मुस्लिम शासन काल में बनाए गए प्रत्येक भवन के नीचे मंदिर तलाश करने का अभियान जोरों से चल रहा है। दुःख की बात यह है कि इस शरारतपूर्ण अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए अदालतों का सहारा लिया जा रहा है। अदालतों को चाहिए था कि वे ऐसी याचिकाओं को तत्काल खारिज कर देतीं, क्योंकि यह संसद द्वारा उपासना स्थल कानून का खुला उल्लंघन है। हैरानी की बात यह है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के साथ-साथ मथुरा की शाही ईदगाह को हटाकर उसकी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की याचिका पर भी अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। शरारती तत्व 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति और शाही ईदगाह इंतेजामिया कमेटी के बीच हुए समझौते को भी मानने को तैयार नहीं है और वे इसे रद्द करने की

मांग कर रहे हैं। हालांकि संसद 1991 में यह कानून बना चुकी है कि 1947 में जो उपासना स्थल जैसी हालत में थो, उसे ज्यों का त्यों बरकरार रखा जाएगा। यह कानून अभी लागू है। इसके बावजूद न जाने क्यों अदालतें इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। अजीब बात है कि मुस्लिम संगठनों ने अभी तक इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शरण नहीं ली है। व किस बात का इंतेजार कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि समय हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाएं।

सालार (26 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि किसी की भूमि पर कब्जा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वहां पर एक पत्थर को गाड़कर यह घोषणा कर दी जाए कि वहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ है। इसी तरह से कब्रिस्तानों की भूमि पर भी भगवान के प्रकट होने का सहारा लेकर कब्जा किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद में कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने अवैध रूप से मूर्तियां रखकर अंत में पूरे मस्जिद को हथिया लिया। यह आजमाया हुआ पुराना नुस्खा है। अब यह तरीका ज्ञानवापी मस्जिद में भी अपनाया जा रहा है। वजुखाने के फव्वारा को शिवलिंग का नाम दे दिया गया। अब संख्या बल और सरकार के सहारे मस्जिद पर भी कब्जा करने का अभियान चल रहा है।

सालार (23 मई) ने जफर आगा का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद पर जिस तरह से कब्जा किया गया था, अब उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही मस्जिद पर भी कब्जा करने की तैयारी हो रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम पुरानी फिल्म फिर देख रहे हैं। जैसे अयोध्या में सब कुछ अदालतों के कंधों पर सवार होकर हुआ, वसे ही अब वाराणसी और मथुरा में भी अदालतों द्वारा ही हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वही फैसला दिया है जो रामलला के प्रकट होने के बाद अयोध्या की अदालत ने दिया था। नमाज जारी रहेगी लेकिन जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद में भी 1960 तक इसी तरह से नमाज होती थी। फिर 1992 में मस्जिद को गिरा दिया गया। अजीब बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के मामले में मुस्लिम पक्ष की सभी तर्कों को मान लिया, मगर इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाने क लिए सौंप दिया गया। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। अदालतों के रवैए से साफ है कि वाराणसी और मथुरा के मामले में क्या होगा। साफ है कि नरेन्द्र मोदी सहित पूरा संघ परिवार 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को मथुरा और काशी के नाम पर ही लड़ेगा। मोदी जी फिर एक बार हिंदू हृदय सम्राट का रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि सत्ता में आने के लिए भाजपा के पास एक मात्र यही रास्ता बचा है।

औरंगाबाद टाइम्स (19 मई) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और देश की अन्य मस्जिदों पर सांप्रदायिक तत्वों द्वारा किए जा रहे दावों पर विचार किया है और कहा है कि सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को अपना निशाना बना रही हैं। जबकि केंद्र और राज्य सरकारें जिन पर संविधान और कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, मूकदर्शक बनी हुई हं। जो राजनीतिक पार्टियां सेक्युलर और न्यायप्रिय होने का दावा करती हैं वह भी चुप हैं। इससे देश में अशांति फैलाने वाले तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालतों ने जो रूख अपनाया है वह बहुत ही दुखद है। इसी तरह से मथुरा के मामले में भी क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए कठिन नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों में इन मुकदमों की पैरवी करने के लिए विधि विशेषज्ञों का पैनल बनाने का फैसला किया है। जमीयत

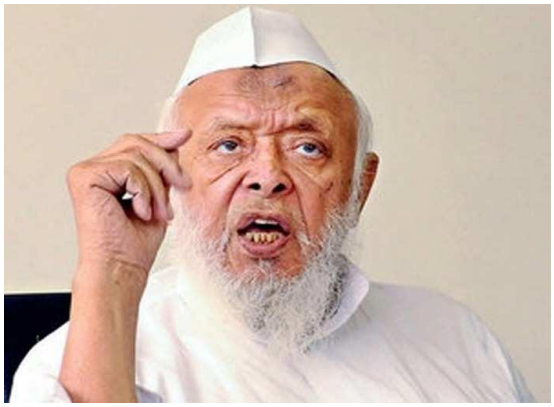

उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को यह सलाह दी है कि वे इन मामलों को सड़क पर न लाएं और किसी तरह का प्रदर्शन न करें। मस्जिदों की इतेजामिया कमेटियों को बड़ी मजबूती से अपना यह केस अदालतों में लड़ना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं और नेताओं से अपील की है कि वे टीवी पर होने वाली चर्चा से दूर रहें।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 मई) ने शिकायत की है कि औरंगजेब को एक बार फिर जालिम और धर्मांध करार देने का अभियान छेड़ दिया गया है। हालांकि दुनिया यह जानती है कि आज जिस अखंड भारत की बात आरएसएस करती है वह औरंगजेब ने ही स्थापित किया है। औरंगजेब के बाद कभी भारत अखंड नहीं रहा। उस पर सैकड़ों मंदिरों को तबाह करने और हिंदुओं से जजिया लेने का आरोप है। उस पर वाराणसी और मथुरा में मंदिर ढहाने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि कई दर्जन हिंदू इतिहासकार जिनमें बो.एन. पांडेय, सतीश चंद्र और अखिलेश जायसवाल शामिल हैं, ने यह हकीकत बयान की है कि औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को जागीरें प्रदान की थी और उनका खर्च चलाने के लिए पुजारियों को नकद धनराशि भी दी थी।

जहां तक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का संबंध है पट्टाभि सीतारमैया ने अपनी पुस्तक में कहा है कि क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ रानियों के साथ बलात्कार किया गया था, इसलिए औरंगजेब ने उसे गिराने का आदेश दिया था। जहां तक मथुरा के केशवदेव मंदिर का संबंध है यह जाट विद्रोहियों का मुख्यालय बन गया था। वहां पर गुप्त बैठकें होती थीं। औरंगजेब के बार-बार मना करने के बावजूद बागी नहीं माने तो मंदिर गिराने का आदेश हुआ, मगर उसके साथ-साथ सूबेदार को यह भी निर्देश दिया गया कि मंदिर की मूर्ति को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाए। मंदिर तोड़ा गया और मूर्ति को बड़े सम्मान सहित नाथद्वारा में स्थापित कर दिया गया।

हैरानी की बात तो यह है कि औरंगजेब का जो मजार औरंगाबाद में स्थित है वहां पर लोग जियारत के लिए जाते हैं। जब अकबरूद्दीन ओवैसी भी वहां गए तो पूरी मीडिया में उनके खिलाफ तूफान खड़ा किया गया। मजार पर जाना मना नहीं है। फिर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर महाराष्ट्र के वातावरण को क्यों नफरती बनाया जा रहा है? दु:ख की बात यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस मजार को ध्वस्त करने की धमकी भी दी है, जिसके कारण भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मजार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।

अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा

इंकलाब (28 मई) के अनुसार अब अजमेर स्थित विख्यात सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर एक हिंदू संगठन ने दावा किया है कि वह मूल रूप से शिव मंदिर है, जिसे दरगाह में बदला गया है। यह दावा महाराणा प्रताप सेना ने किया है और इस संबंध में इस संगठन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस दरगाह की जांच करवाने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना

के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पहले शिव मंदिर था, लेकिन इसे दरगाह में बदल दिया गया और आज भी दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में स्वास्तिक के निशान लगे हुए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारी मांग पर जांच शुरू नहीं हुई तो देशव्यापी जनांदोलन चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत अजमेर से की जाएगी जहां 2000 कार्यकर्ता आंदोलन चलाएंगे। जरूरत पड़ने पर हमलोग अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इस दावे के बाद अजमेर प्रशासन सतर्क हो गया है और जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने दरगाह का दौरा किया है। पुलिस आयक्त विकास शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और हम किसी को भी अशांति फैलाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस दुष्प्रचार पर ध्यान न दें। महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह के कुछ चित्र भी जारी किए हैं, जिनमें दरगाह में स्वास्तिक के चिन्ह लगे हुए हैं।

इत्तेमाद (28 मई) के अनुसार दरगाह के खादिम ने कहा है कि यह दावा बेबुनियाद है और दरगाह में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह दरगाह 850 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और आज तक किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाए। इस तरह के सवाल उठाने से ख्वाजा के करोड़ों श्रद्धालुओं को गहरा धक्का लगा है। सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस दावे पर टिप्पणी करते हुए इत्तेहादुल मुस्लिमोन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस तरह के संगठन देश में नफरत की ज्वाला भड़का रहे हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (25 मई) के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने कुतुब मीनार में हिंदू और जैन देवताओं को पूजा करने की अनुमति देने से संबंधित याचिका पर अपना फैसला 9 जून के लिए सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता ने साकेत अदालत में यह दावा किया था कि मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद क़व्वत-उल-इस्लाम का निर्माण किया था। परिसर में अनेक हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिसमें क्लश और पवित्र कमल के चिन्ह हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मंदिरों की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बनाने और इस मंदिर को उसके हवाले करने

एवं देवी-देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अदालत का अगला फैसला आने तक भगवान गणेश की दोनों मूर्तियों को इस परिसर से नहीं हटाया जाएगा। ये दोनों मूर्तियां 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को ने 1993 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुतुब मीनार में हिंदू और जैन मंदिरों में पूजा की अनुमति देने का विरोध किया है और कहा है कि इस स्थान पर किसी को भी पूजा-अर्चना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि 1958 के एक्ट के अनुसार जो ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में हैं वहां पर किसी को पूजा या नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। पुरातत्व विभाग की इस रिपोर्ट से याचिकाकर्ताओं को गहरा धक्का लगा है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उनसे कहा कि जब इस परिसर में 800 वर्ष से देवी-देवता बिना पूजा के हैं तो उन्हें आगे भी रहने दिया जाए।

अवधनामा (23 मई) के अनुसार भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खबर का खंडन किया है कि सरकार ने कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि हाल ही में सांस्कृतिक विभाग के सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ कुतुब मीनार का दौरा किया था और उसके बाद समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने कुतुब मीनार के दक्षिण में और मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई करवाने का फैसला किया है। इसके साथ हो लालकोट किले में भी खुदाई करवाने की योजना है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 1991 में इस परिसर में पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की थी उससे कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। इन दिनों ये मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई हैं।

श्रीनगर से प्रकाशित **दैनिक चट्टान** (28 मई) में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुतुब मीनार परिसर के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। 1926 में पुरातत्व विभाग ने इस परिसर का निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम का निर्माण एक प्राचीन मंदिर की नींव पर किया गया है। जबकि अन्य 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह संदेह व्यक्त किया गया है कि मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम का फर्श किसी पुराने मंदिर का है, जिस पर पुनः शिला लगाई गई हैं। ऐसा शायद इसलिए किया गया है क्योंकि इस मंदिर के फर्श पर कुछ प्राचीन शिलालेख थे, जिनको छिपाने के लिए उस पर शिलाएं लगाई गई हैं। एक अन्य इतिहासकार राणा सफवी का कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण मुसलमानों ने किया था। 1981 में कुतुब मीनार में पर्यटकों के चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वहां पर एक भगदड़ में 45 बच्चे मारे गए थे।

अवधनामा (18 मई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक दरगाह के पास हनुमान की मूर्ति लगाने पर दो वर्गों में झड़पें हुईं। दंगाईयों को अलग-थलग करने के लिए पुलिस को लाठी चाज करना पड़ा। समाचारपत्र ने यह भी शिकायत की है कि इस बात की भी खबर मिली है कि इस क्षेत्र में एक मस्जिद को भी दंगाईयों ने नुकसान पहुंचाया था।

सियासत (19 मई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर यह शिकायत की है कि दिल्ली की जामा मस्जिद एक प्राचीन मंदिर पर बनाई गई है, इसलिए जामा मस्जिद परिसर में खुदाई करवारकर सच्चाई का पता लगवाया जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें नरेन्द्र मोदी विचार मंच ने कर्नाटक के मांड्या जिलाधिकारी को एक पत्र

लिखकर कहा है कि श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने एक हनुमान मंदिर को ध्वस्त करके 1784 में जामा मस्जिद को बनवाया था। बताया जाता है कि ऋषि कुमार नामक व्यक्ति ने यह धमकी दी थो कि अगर यह मस्जिद हिंदुओं के हवाले नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। इस धमकी के बाद ऋषि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 मई) के अनुसार मंगलौर में विश्व हिंदू परिषद ने यह दावा किया है कि वहां की एक मस्जिद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता इस मस्जिद में घुसकर पूजा अर्चना करना चाहते थे। इससे वातावरण तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगाकर मस्जिद में किसी भी व्यक्ति के घुसन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है कि जब इस मस्जिद की मरम्मत की जा रही थी तो उसके अंदर से काफी मूर्तियों के मौजूद होने का पता चला था।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 मई) के अनुसार अहमदाबाद के पीराना नामक गांव में एक दरगाह इमामशाह बावा के परिसर में एक मंदिर का निर्माण करने पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है और मुस्लिम संगठनों ने इस मामले में अदालत में एक याचिका दायर करके प्रशासन से यह मांग की है कि दरगाह परिसर में मंदिर के निर्माण को रोका जाए। इस शिकायत में यह भी कहा गया है कि शरारती तत्व लोगों को दरगाह में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। प्रशासन ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 मई) के अनुसार उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर बनी बिना नींव की मस्जिद की जांच करवाई जाए क्योंकि यह मूलतः एक शिव मंदिर है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जबरन मस्जिद में बदल दिया गया था। इसी तरह से संस्कृति बचाओ मंच ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को एक ज्ञापन देकर कहा है कि भोपाल की जामा मस्जिद में पुरातत्व विभाग से खुदाई करवाई जाए।

एक अन्य समाचार के अनुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह दावा किया है कि पुणे में पुणेश्वर मंदिर की भूमि पर दो दरगाहों का जबरन निर्माण करवाया गया था। सेना के महामंत्री अजय शिंदे ने यह घोषणा की है कि वे इस मंदिर की मूर्ति के लिए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। शिंदे ने दावा किया है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति ने दो मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पर दो दरगाहों का निर्माण किया था। उन्होंने यह मांग की है कि इन दरगाहों की पुरातत्व विभाग द्वारा जांच करवाई जाए।

विश्व

पाकिस्तान गृहयुद्ध की राह पर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच ठन गई है, जिसके कारण पाकिस्तान में गृहयुद्ध की ज्वाला भड़कने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

इंकलाब (27 मई) के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूवं प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद के रेड जोन पर पहुंचकर लॉन्ग मार्च समाप्त कर दिया है और घोषणा की है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने छह दिनों में देश में चुनाव करवाने की घोषणा नहीं की तो मैं अगली बार बीस लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद वापस आऊंगा। जिन्ना एवेन्यू पर लॉन्ग मार्च के भागीदारों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि सरकार ने हमारे धरने को कुचलने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का देश भर में गिरफ्तार किया गया, मगर जनाक्रोश को देखते हुए सरकार विफल रही।

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद के रेड जोन अर्थात संसद और डिप्लोमेटिक जोन में सेना तैनात कर दी थी, मगर इमरान खान ने सेना के साथ झड़प नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी कौम भय के चंगुल से आजाद हो गई है और हम ऊपर से लादी हुई सरकार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी कौम को अपराधियों के हवाले किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पुत्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अब तक हमारे कई कार्यकर्ताओं को मार चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय को पुलिस के अत्याचारों का नोटिस लेना चाहिए। पूरे दिन पुलिस और इमरान खान के समर्थकों में झड़प होती रही। इससे पूर्व पाकिस्तान सरकार की ओर से इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना करने की जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी उसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

इंकलाब (25 मई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए देशव्यापी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू

किया। बताया जाता है कि पुलिस ने 400 से अधिक इमरान समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इमरान के समर्थक नेताओं और पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार करने का जो प्रयास किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि अधिकांश नेता फरार हो गए थे। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान की पुलिस को विभिन्न मार्गों पर तैनात करके उन्हें सील कर दिया और लाहौर तथा रावलपिंडी के बीच यातायात को रोक दिया गया।

इंकलाब (26 मई) के अनुसार पाकिस्तान के विभिन्न नगरों में इमरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़पें हुईं, जिनमें दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने अनेक स्थानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और रबड़ की गोलियां चलाईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया और कांटेदार तार लगा दिए गए। सरकार ने सारी बसें बंद कर दी और कॉलेज तथा स्कूल भी बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा से आनेवाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अटक में सीमा बंद कर दी गई। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

पाकिस्तानी समाचारपत्र **डॉन** (27 मई) के अनुसार इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से जो लॉन्ग मार्च शुरू किया था वह उन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचकर धरने में बदल दिया। इमरान खान ने यह घोषणा की है कि सरकार को छह दिनों के अंदर-अंदर सभी राज्यों की विधान सभाओं को भंग करके देश में चुनाव करवाने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे खैबर पख्तूनख्वा से तीस घंटे में इस्लामाबाद पहुंचे हैं। रास्ते में सरकार न पुलिस और सेना की मदद से उनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए थे वह विफल रहे हैं।

समाचारपत्र न लिखा है कि 2014 में भी इमरान खान ने इसी तरह का लॉन्ग मार्च निकाला था और उसके बाद 126 दिनों तक इस्लामाबाद में धरना दिया था, मगर इस बार इमरान खान ने धरना देने की बजाय अपने समर्थकों को वापस जाने की हिदायद दी। इमरान खान ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह उनके रास्ते में कोई रूकावट न डाले और उनके खिलाफ किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल न करे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकार को लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर वह इस्लामाबाद के रेड जोन में स्थित महत्त्वपूर्ण भवनों जैसे सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास, चुनाव आयोग के कार्यालय आदि विभिन्न दूतावासों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थीं उस पर सरकार को 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करनी पड़ी है। यह धनराशि गत पांच दिनों में खर्च हुई है। इनमें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किराए पर लिए गए 380 कंटेनर, क्रेन और फोर्कलिफ्टर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और अर्द्धसैनिक दस्तों को मुख्य सड़कों तक लाने में 27 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है। सरकार ने 100 बसों और 100 ट्रकों का भी इस्तेमाल किया। 41 लाख रुपया उन पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के भोजन पर खर्च किया गया, जिनकी ड्यूटी इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए लगाई गई थी।

पेशावर से प्रकाशित **मशरिक** (27 मई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह इमरान खान और उनके नेताओं को गिरफ्तार न करे और न ही उनके घरों पर छापा मारे। अगर इमरान खान शांतिमय ढंग से इस्लामाबाद में प्रदर्शन करना चाहता है तो उसमें सरकार किसी तरह की बाधा न लगाए। पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इजाजुल अहसन ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए छापा मारना या गिरफ्तार करना गैरकानूनी है और सरकार को सड़कों पर यातायात को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसे स्कूल, कॉलेज या बाजार ही बंद करने चाहिए। जब न्यायाधीश के इस कथन का पाकिस्तान सरकार के अटॉर्नी जनरल ने विरोध किया तो एक अन्य न्यायाधीश मजहर नकवी ने कहा कि आपको देश की विस्फाटक स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। हालत यह है कि रास्ते बंद होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के बहुत कम कर्मचारी ही अपने कार्यालय में पहुंच सके हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सफाई देते हुए कहा कि इमरान खान ने खूनी मार्च करने की धमकी दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से सड़कों को बंद करने के खिलाफ हूं, मगर सरकार को जनता के जान व माल की सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी है। सशस्त्र लोगों को हिंसा फैलाने की कैसे अनुमति दी जा सकती है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष शोएब शाहीन ने कहा कि पुलिस वकीलों को भी उनके घरों में घुसकर गिरफ्तार कर रही है। पूर्व न्यायाधीश नासिरा जावेद को भी उनके घर में घुसकर छापा मार के गिरफ्तार किया

गया। इस पर न्यायाधीश इजाजुल अहसन ने कहा कि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर इसके साथ सरकार को इस बात का भी अधिकार नहीं है कि वह विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरह के ताकत का इस्तेमाल करे। सरकार आर विपक्ष में तालमेल समाप्त हो चुका है जो कि इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री यह चाहते हैं कि यह राजनीतिक विवाद अदालत की बजाय बातचीत से हल किया जाए।

जंग (27 मई) के अनुसार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना फजल-उर-रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान वर्तमान संकट से नहीं निकला तो इसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने मांग की कि इस समय देश में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ी है उसका कारण 2018 में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं। वर्तमान शासनतंत्र के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता और उसका नामोनिशान मिट जाएगा। इसलिए हमें एक नया शासनतंत्र देश में लाना होगा और उसका एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम ऐसे धरनों से डरने वाले नहों हैं। ये मौसमी बीमारियां हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। विपक्ष हमारी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहा है। वे स्वयं ही थक जाएंगे।

तालिबान का घाटे वाला पहला बजट

सियासत (16 मई) के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान का जो पहला बजट पेश किया है, उसमें पांच अरब अफगानी (50 करोड़ दस लाख डॉलर) का घाटा दिखाया गया है। सरकार ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा। अमेरिका हालांकि एक वर्ष पूर्व अफगानिस्तान को खाली कर चुका है, मगर वहां की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बद-से-बदतर हो रही है। यूरोप के अधिकांश देशों ने अफगानिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और अमेरिका ने वहां के बैंकों में अफगान सरकार की पड़ी संपत्तियों को सीज कर रखा है। इस कारण अफगानिस्तान का पूरा व्यापार चौपट है और अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन चौपट होती जा रही है। अफगानिस्तान के उपप्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी का कहना है कि इस बजट में अफगानिस्तान की आय का अनुमान 1 खरब 86 अरब 70 करोड़ अफगानी लगाया गया है। जबकि इस अवधि में सरकारी खर्च का अनुमान 2 खरब 81 अरब 40 करोड़ अफगानी का है।

वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद वली हकमाल का कहना है कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि आय में कैसे वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि 2001 में जब अमेरिका के सहयोग से अफगानिस्तान में सरकार बनी थी तब से अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर थी। अगस्त 2021 में विदेशी सैनिकों ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया और इसके बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी तक विश्व के देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसलिए उसे विदेशी सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय आधार पर हमें विदेशों से सहायता प्राप्त हो ताकि अफगान नागरिकों को आर्थिक संकट का सामना न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार ने विदेशी सरकारों से यह अनुरोध किया ह कि उनके सहयोग से अफगानिस्तान में जो विकास की योजनाएं शुरू की गई थी उन्हें जारी रखा जाए, मगर अभी तक विदेशी सरकारों का रूख

सकारात्मक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समाज कल्याण के कार्यक्रमों में काफी कटौती करनी पड रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 मई) के एक समाचार के अनुसार अफगान सरकार ने सभी महिला टेलीविजन एंकरों को यह आदेश दिया था कि वे टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम पर्दे में पेश करें और बुर्के का इस्तेमाल करें। लेकिन एंकरों ने इसे मानने से इंकार कर दिया है और वे बिना पर्दे के अपना कार्यक्रम पेश कर रही हैं। एक अफगान टीवी के हेड ऑफ न्यूज ने कहा कि अधिकांश महिला एंकरों का यह मत है कि बिना पर्दे के टीवी चैनलों पर कार्यक्रम पेश करना संभव नहीं होगा और अगर उन्होंने पर्दे में रहकर अपना कार्यक्रम पेश किया तो अलोकप्रियता को बहाना बनाकर सरकार उनकी नौकरी को समाप्त कर देगी। यह भी पता चला है कि अफगानिस्तान के विभिन्न टेलीविजन चैनलों के पुरुष एंकरों ने भी तालिबान सरकार के इस आदेश का विरोध किया है और कहा है कि वर्तमान हालात में महिला एंकरों द्वारा बुर्का पहनकर कार्यक्रम पेश करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में तालिबान ने महिलाओं के टीवी कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और महिला रिपोटरों को यह निर्देश दिया था कि वे बिना बुर्का पहने सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। हालांकि अमेरिका द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि तालिबान महिलाओं और छात्राओं के लिए स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे खोल दें। वरना उनको दी जाने वालो आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी।

ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका कटिबद्ध

हमारा समाज (25 मई) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति पर कटिबद्ध है और हमने ताइवान की रक्षा की जो जिम्मेवारी ली थी उसे हम पूरा करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि चीन अपनी संप्रभुता के मामले में किसी प्रकार क हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा। अमेरिका का यह बयान गैरजरूरी है और ताइवान चीन का एक अभिन्न हिस्सा है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पुरानी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हम ताइवान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि चीन में इस समय जो शासन है वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और काफी समय से वह पुनः उस पर कब्जा करने के लिए धमकी देता आ

रहा है। हाल ही में चीन ने ताइवान के टापू के पास अपनी सैनिक गतिविधियों में वृद्धि कर दी है और दक्षिण चीन सागर में जलयानों की संख्या बढ़ा दी है।

इत्तेमाद (25 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक नया आर्थिक मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत सहित 13 देश शामिल हो गए हैं। इस गठबंधन का लक्ष्य चीन के बढ़ते हुए व्यापारिक प्रभाव को कम करने के लिए आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चीन के खिलाफ जो नया आर्थिक मोर्चा बना है उसमें आस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलिपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ब्रुनेई शामिल हैं। इससे पहले भी 2015 में अमेरिका ने एक ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप नामक एक योजना बनाई थी, मगर 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस योजना को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब ऐसा लगता है कि बदले हुए हालात में अमेरिका का यह प्रयास है कि चीन की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों के जवाब में विभिन्न देशों का एक आर्थिक मोर्चा बनाया जाए। इससे चीन के आर्थिक वचस्व को कम करने का मौका मिलेग और उसका पसिफिक क्षेत्र में दबदबा कम होगा। इस बात की संभावना है कि इस नए गठबंधन में शामिल विभिन्न देशों पर अमेरिका इस बात के लिए दबाव डाल कि वे चीन का आर्थिक दृष्टि से मुकाबला करने के लिए आपस में व्यापार को बढ़ाएं। इस आर्थिक मोर्चे में भारत के शामिल होने के कारण इस क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया है। इस नए गठबंधन में शामिल 13 देशों का घरेलू पैदावार विश्व जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका चीन को आर्थिक दृष्टि से घेरना चाहता है।

सियासत (21 मई) ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया है कि वह चीन और पाकिस्तान के सहयोग से बनाए गए आर्थिक गलियारे की योजना को गंभीरता से लागू करे, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए सहयोग को पलीता लगाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे पाकिस्तान में चीन द्वारा शुरू की गई आर्थिक परियोजनाओं में

बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इस लक्ष्य से इन योजनाओं से जुड़े हुए चीनी विशेषज्ञों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल ने चीनी मीडिया को विश्वास दिलाया है कि पाकिस्तान सरकार का यह पूरा प्रयास रहेगा कि चीन और पाकिस्तान के आर्थिक सहयोग को ज्यादा-से-ज्यादा बढाया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चीन और पाकिस्तान के आर्थिक सहयोग के खिलाफ हैं। वे यह चाहते हैं कि आर्थिक सहयोग की परियोजनाएं पूरी न हों, इसलिए वे आतंकवादी संगठनों के सहयोग से इन परियोजनाओं में कार्यरत चीनी विशेषज्ञों को मौत के घाट उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह पूरा प्रयास रहेगा कि पाकिस्तान में रहने वाले चीनी विशेषज्ञों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

पाकिस्तान में दो सिख व्यापारियों की हत्या

इंकलाब (16 मई) के अनुसार पेशावर के समीप सरबंद नामक कस्ब में कुछ अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े दो सिखों को गोलियों से भ्न दिया। पेशावर के पुलिस कमिश्नर इजाज खान ने कहा कि मारे जाने वाले सिखों में 42 वर्षीय कुलजीत सिंह और 38 वर्षीय रंजीत सिंह शामिल हैं। ये दोनों दुकानदार थे और गरम मसाले का कारोबार करते थे। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारियों का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को जांचा जा रहा है और इस इलाके में पुलिस और फ्रंटियर कोर की ओर से खोजी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंन कहा कि

यह टार्गेट किलिंग है। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्होंने एके-56 राइफलों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विश्व में बदनाम करने के लिए उसके दुश्मन इस तरह की आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया है कि वे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सख्त कदम उठाएं और इन सिखों को मारने वालों को जल्द-से-जल्द गिरफ्तार किया जाए।

अल्पसंख्यकों की हत्या करने वालों को फांसी

इंकलाब (20 मई) के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 1971 में पाकिस्तान के इशारे पर अल्पसंख्यकों की हत्या करने वाले तीन व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मौलवी बाजार में कई अल्पसंख्यकों को सामुहिक रूप से मौत के घाट उतारा था। यह सजा जस्टिस मोहम्मद शाहीनुर इस्लाम की पीठ ने तोन वर्ष की सुनवाई के बाद सुनाया है। जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है, उनमें अब्दुल अजीज, उसका भाई मोहम्मद अब्दुल मतीन और एक अन्य व्यक्ति अब्दुल मन्नान शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अक्टूबर 2014 में इन तीनों के खिलाफ जांच की शुरुआत की थी और दो वर्ष बाद इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। बताया जाता है कि मुक्ति संग्राम के दौरान इन लोगों ने अनेक अल्पसंख्यकों की हत्या की और उनकी महिलाओं के साथ सामुहिक बलात्कार किया। ये लोग पाकिस्तानी सेना में रजाकार के तौर पर शामिल हुए थे।

लेबनान में संसदीय चुनाव

इत्तेमाद (18 मई) के अनुसार लेबनान की संसद के हाल के चुनाव में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों का वर्चस्व समाप्त हो गया है। 128 सदस्यों वाली संसद में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों को 61 सीटें प्राप्त हुई हैं जो कि भंग संसद की तुलना में दस कम हैं। लेबनान इस समय भीषण आर्थिक संकट का शिकार है और लेबनान की जनता इसके लिए हिजबुल्लाह और उसके समर्थक दलों की आर्थिक नीतियों को दोषी करार देती है। हाल के चुनाव में ईसाईयों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट क्रिश्चियन लेबनानी फोर्सेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। यह पार्टी हिजबुल्लाह और इस्लामिक पार्टियों की प्रबल विरोधी है। लेबनान के गृहमंत्री बासम मौलवी ने दावा किया है कि लेबनान के दक्षिणी जिलों में हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। हिजबुल्लाह के नेता और संसद के उपाध्यक्ष एली फर्जली चुनाव हार गए हैं। लेबनान में 1992 से नबीह बेर्री संसद के अध्यक्ष हैं। संसद के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होगा।

इत्तेमाद (16 मई) के अनुसार लेबनान में आर्थिक संकट और बेयरूत की बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट के बाद पहली बार लेबनान में चुनाव हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें शियाओं के जिहादी संगठन हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ी है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेबनान में कई छोटी-छोटी पार्टियां राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए संसद का नया स्वरूप क्या होता है इसके बार में कहना कुछ भी कठिन है। बेयरूत में मतदान करने के लिए आई एक 35 वर्षीय महिला ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि लेबनान में उदारवादी सरकार बने जो देश को आर्थिक संकट से उबार सके। इसलिए हम निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट डालना पसंद करेंगे। दक्षिणी लेबनान को आमतौर पर शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है।

तीस वर्षीय एक महिला ने कहा कि हालांकि हिजबुल्लाह के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, मगर हम अब भी हिजबुल्लाह को ही वोट देंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के कारण वर्ष 2000 में इजरायली सैनिकों को लेबनान से भागना पड़ा था। हम एक विचारधारा को वोट देते हैं। हमारी नजर में धन का कोई महत्व नहीं है।

गारतलब है कि लेबनान 1975 से लेकर 1990 तक चले गृहयुद्ध के बाद इन दिनों सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लेबनानी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हुआ है और इस समय इस देश की तीन चौथाई जनसंख्या गरीबी की दलदल में फंस चुकी है। 2018 के चुनाव में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों जिनमें राष्ट्रपति मिशेल आउन की फ्री पैट्रियोटिक मुवमेंट पार्टी भी शामिल थी, ने संसद की 128 सीटों में से 71 पर विजय प्राप्त की थी। इसके कारण लेबनान की राजनीति में ईरान और शियाओं का वर्चस्व बढ़ गया था और सऊदी अरब समर्थक सुन्नी लॉबी को गहरा धक्का लगा था। इस चुनाव में भी सुन्नी भाग नहीं ले रहे हैं। सुन्नियों के नेता साद अल-हरीरी ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।

आब–ए–जमजम ले जाने पर प्रतिबंध

सालार (19 मई) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने हज और उमरा करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा आब-ए-जमजम को सऊदी अरब से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संबंध में सभी यात्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी विमान कंपनियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी यात्री को सऊदी अरब से आब-ए-जमजम को बाहर न ले जाने दें वरना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यहां पर उल्लेखनीय है कि आब-ए-जमजम को मुसलमानों में गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि पैगम्बर हजरत इब्राहिम ने अपने अनुयायियों को जल के अभाव में बिलखते हुए जब देखा तो वहां पर एक झरना फूट पड़ा। तब से इस झरने क पानी को पवित्र माना जाता है। विश्व भर से जो मुसलमान हज या उमरा करने के लिए सऊदी अरब आते हैं व पवित्र प्रसाद के तौर पर अपन साथ आब-ए-जमजम ले जाते हैं। सऊदी सरकार ने आब-ए-जमजम को देश से बाहर ले जाने पर क्यों प्रतिबंध लगाया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। सऊदी सरकार ने कस्टम विभाग को भी यह निर्देश दिया है कि वह सऊदी अरब से बाहर जाने वाले प्रत्येक यात्री के सामान की सख्ती से जांच पड़ताल करे और किसी को भी आब-ए-जमजम बाहर ले जान की अनुमति न दे। गौरतलब है कि पहले हज या उमरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दस लीटर आब-ए-जमजम विदेश ले जाने की अनुमति थी। बाद में इसकी मात्रा घटाकर पांच लीटर कर दी गई थी और अब इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गारतलब है कि मक्का की मस्जिद अल-हरम से आब-ए-जमजम का कुआं 66 फीट की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह कुआं 5 हजार वर्ष पुराना है। इस्लाम से पहले भी इसको पवित्र माना जाता था। उमरा और हज करने वाले इस पवित्र पानी को अपने साथ ले जाते थे और स्वदेश जाकर इसे अपने रिश्तेदारों को तोहफे क तौर पर बांटते थे।

सियासत (20 मई) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब में आब-ए-जमजम को देश से बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह प्रतिबंध सिर्फ कुछ समय के लिए लगाया गया है।

तुर्की द्वारा इस्लाम विरोधी देशों को नाटो में शामिल करने का विरोध

इत्तेमाद (21 मई) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को चेतावनी दी है कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे कुछ देश इस्लाम विरोधी संगठनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसे तुर्की किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि य संगठन जिनमें वाई.पी.जी मुख्य है जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस में इस्लाम विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इस संबंध में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों को दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराए हैं, मगर पश्चिमी देश जानबूझकर हमारे विरोध को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने इस संदर्भ में स्वीडन, फिनलैंड और हॉलैंड की सरकारों से भी बातचीत की है, मगर हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया है। इन इस्लाम विरोधी संगठनों को ये देश आर्थिक सहायता दे रहे हैं और उन्हें अस्त्र-शस्त्र भी मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इन संगठनों को नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए हम फिनलैंड और स्वीडन को भी नाटो में शामिल किए जाने के विरोधी हैं।

सियासत (16 मई) के अनुसार तुर्की अमेरिका द्वारा पोषित सैनिक संगठन नाटो का महत्त्वपूर्ण सदस्य है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ हैं। कई पश्चिमी देशों के तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए वे इस स्थिति में नहीं हैं कि तुर्की के विरोध को नजरअंदाज करें। यूरोपीय यूनियन के अधिकांश देश इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर तुर्की के विरोध को नजरअंदाज करते हुए फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किया गया तो विराध स्वरूप तुर्की नाटो से अलग हो जाएगा। इस समय जब यूक्रेन में रूस का आक्रमण जारी ह, ऐसी स्थिति में नाटो तुर्की को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सारी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को यह स्पष्ट

रूप से बता दिया है कि स्वीडन और स्कैंडिनेविया के देश इन इस्लाम विरोधी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। जबकि तुर्की इन आतंकवादी संगठनों के विरोध में हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि 1980 में तुर्की ने यूनान को नाटो में पुनः शामिल करने का समर्थन करके जो गलती की थी वह भविष्य में उसे नहीं दोहराएगा। अब यूनान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह नाटो के अन्य देशों को तुर्की के खिलाफ भड़का रहा है।

गौरतलब है कि नाटो में शामिल सभी 30 देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत व किसी भी देश को नाटो में शामिल करने का विरोध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने का विरोध करता है तो अमेरिका के लिए इन दोनों देशों को नाटो में शामिल करना आसान नहीं होगा। रूस पहले से ही स्वीडन को नाटो में शामिल करने का विरोध कर रहा है। यूक्रेन की पृष्टभूमि को देखत हुए भी अमेरिका के लिए रूस की नाराजगी को नदरअंदाज करते हुए स्वीडन को नाटो में शामिल करना कठिन होगा। रूस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए स्वीडन नाटा में शामिल होने के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहा है।

महिला सांसद के त्यागपत्र से इजरायल सरकार को झटका

मुंबई उर्दू न्यूज (21 मई) के अनुसार इजरायल में एक नया राजनीतिक संकट उभर रहा है। इसके कारण इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इजरायल को आने वाले दिनों में पुनः चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। इजरायल की संसद में वर्तमान सरकार को सिर्फ एक सांसद का बहुमत प्राप्त है, मगर हाल ही में एक महिला सांसद गैदा रिनावी जोआबी ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। इस सांसद का संबंध वामपंथी पार्टी मेरेट्ज से बताया जाता है। इजरायली मीडिया के अनुसार इस महिला ने इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री येर लापिड को भेजे पत्र में संसद से त्यागपत्र देने का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार पर दक्षिणपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त इजरायल सरकार फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जो कठोर कदम उठा रही है व उसके खिलाफ हं। खास तौर पर मस्जिद अल-अक्सा में नमाजियों पर इजरायली पुलिस ने जो कार्रवाई की है इससे उन्हें बहुत धक्का लगा है और हाल ही में एक महिला पत्रकार शिरीन अबू अकलेह की जिन हालात में मौत हुई है उसको देखते हुए वह संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे रही हैं।

गौरतलब है कि 11 महीने पूर्व आठ पार्टियों के गठबंधन के बाद इजरायल में नई सरकार बनी थी जो कि सिर्फ एक सांसद के बहुमत पर टिकी हुई है। सत्तारूढ़ गठबंधन में वामपंथी, उदारवादी और इस्लामिक पार्टियां शामिल हैं। इन दिनों इजरायल में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। गत तीन वर्षों में चार बार संसद के चुनाव हुए हैं, मगर उनमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में नाफ्ताली बेनेट ने सिर्फ इसलिए यह गठबंधन बनाया था, क्योंकि व नेतन्याहू की सरकार का तख्ता पलटना चाहते थे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार के अनेक मुकदमें चल रहे हैं। जोआबी से पूर्व अप्रैल महीने में दक्षिणपंथी यहूदी पार्टी की एक महिला सांसद इदित सिलमन भी संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुकी हैं। इदित का संबंध प्रधानमंत्री नाफ्ताली की पार्टी यामिना से था। उन्होंने यहूदी त्योहारों के दौरान अस्पतालों में खाना सप्लाई करने के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया था।

सऊदी अरब में दो शिया नेताओं को फांसी

अवधनामा (22 मई) के अनुसार सऊदी अरब क सर्वोच्च न्यायालय ने देश में शिया नेताओं के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसी सिलसिले में दो विरोधी शिया नेताओं को मौत की सजा सुनाई है। समाचारपत्र के अनुसार ये दोनों शिया बहरीन के रहन वाले हैं। सऊदी सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों नेताओं को इस आरोप में फांसी की सजा दी है कि वे ईरान के इशारे पर सऊदी अरब में सरकार विराधी गतिविधियां चला रहे थे और उन्होंने सऊदी जनता को सरकार के खिलाफ भड़काया था। बहरीन के एक संगठन ने सऊदी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की निंदा की है और दुनिया भर के इस्लामिक संगठनों से अपील की है कि वे सऊदी सरकार पर दबाव डालकर सादिक मजीद थामर और जाफर मोहम्मद सुल्तान को दी गई मौत की सजा को रद्द करवाएं। इससे पूर्व सऊदी सरकार शिया बहुल क्षेत्र कतीफ में दा दर्जन शिया नेताओं को फांसी दे चुकी है, क्योंकि व सऊदी सरकार द्वारा शियाओं के उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे। गौरतलब है कि गत छह महीने में 200 से अधिक सरकार विरोधी शियाओं को सऊदी अरब की सुन्नी सरकार मौत के घाट उतार चुकी है। ईरान सरकार के सूत्रां के अनुसार सऊदी अरब सरकार के खिलाफ वहां रहने वाले शियाओं में जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। शिया सऊदी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सऊदी सरकार सेना की मदद से कुचल रही है। हाल ही में 500 के लगभग शियाओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखा जा रहा है।

अन्य

जामा मस्जिद की मरम्मत पर 50 करोड़ खर्च होने का अनुमान

हमारा समाज (27 मई) के अनुसार दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की मरम्मत पर दिल्ली वक्फ बोर्ड 50 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है। इसकी निगरानी की जिम्मेवारी नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को सौंपे जाने की संभावना है। गौरतलब है कि शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण 1656 में करवाया था और यह 23 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इसके तीन दरवाजे हैं। मुगल बादशाह इस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा किया करते थे। वे पूर्वी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। बताया जाता है कि वीपी सिंह के शासनकाल में ही जामा मस्जिद की मरम्मत का एक प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके तहत इस मस्जिद की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया था, मगर वोपी सिंह की सरकार का तख्ता पलट जाने के बाद यह योजना खटाई में पड़ गई।

गत दो वर्षों से जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी मस्जिद की खस्ता हालत के बारे में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पत्र लिखते रहे हैं। यह मामला संसद के दोनों सदनों में भी उठाया गया था। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसकी मरम्मत की जिम्मेवारी ली है। बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इस मस्जिद की मरम्मत को जिम्मेवारी दिल्ली सरकार ने ली है और हम इसे पूरा करेंगे। हम इस संदर्भ में सर्वेक्षण करवा चुके हैं। शीघ्र ही मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में तीन दर्जन से अधिक प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिदें हैं। इनमें मस्जिद काला, मोती मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, नीली मस्जिद, मस्जिद सुल्तानगढ़ी, मस्जिद निजामुद्दीन दरगाह और पुराने किले में स्थित पुरानी मस्जिद उल्लेखनीय हैं। हालांकि जहां तक प्राचीनता का संबंध है दिल्ली में मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को ध्वस्त करके करवाया था।

नवाब मलिक की पत्नी और बेटों की गिरफ्तारी की संभावना

औरंगाबाद टाइम्स (27 मई) के अनुसार महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक इन दिनों जेल में हैं। अब उनके परिवारजनों के भी जेल जाने की संभावना बढ़ गई है। बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक के परिवारजनों को मनी लांन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कई बार बुलाया था, मगर वे उपस्थित नहीं हुए। सरकारी सूत्रों के अनुसार नवाब मलिक की पत्नी महजबीन को दो बार और उनके बेटे फराज मलिक को पांच बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर वे हाजिर नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार नवाब मलिक के कुख्यात आतंकवादी दाउद इब्राहिम से संबंध थे और दाउद इब्राहिम के नाम पर काफी बड़ी धनराशि का कारोबार नवाब मलिक की कंपनी ने किया था।

पासदारान–ए–इंकलाब आतंकवादी संगठनों की सूची में

मुंबई उर्दू न्यूज (26 मई) के अनुसार अमेरिका ने ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब को आतंकवादी संगठनों की सूची में रखने का फैसला किया है, क्योंकि इस संगठन का संबंध ईरान सरकार से है। अमेरिका ने यह घोषणा की है कि ईरान द्वारा क्योंकि आतंकवादी संगठनों का समर्थन और पोषण किया जा रहा है, इसलिए भविष्य में ईरान को अमेरिका द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी। हाल ही में अमेरिका में पासदारान-ए-इंकलाब के एक अधिकारी की हत्या पर ईरान सरकार ने विरोध प्रकट किया है। जबकि इजरायल ने अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिकी सरकार के इस फैसले से इस्लामिक आतंकवाद को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि पासदारान-ए-इंकलाब का मकड़जाल विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ है। उस पर अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या का भी आरोप है।

राजस्थान से राज्य सभा में अब तक आठ महिलाएं

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 मई) के अनुसार राजस्थान से राज्य सभा के चुनाव में अब तक आठ महिलाएं ही विजयी रही हैं। इनमें से सात का संबंध कांग्रेस और एक का भाजपा से है। कांग्रेस से जो महिलाएं राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुईं, उनमें मुकुट बिहारी भार्गव की पुत्री शारदा भार्गव, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रभा ठाकुर, लेखिका लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत, पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की पत्नी उषी खान और शांति पहाड़िया के अतिरिक्त नारायण देवी और जमुना देवी बारूपाल शामिल हैं। भाजपा के टिकट पर नजमा हेपतुल्ला निर्वाचित हुई थीं। शारदा भार्गव सबसे ज्यादा तीन बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुईं। उनका निर्वाचन 1952 से शुरू हुआ। जबकि प्रभा ठाकुर ने दो बार राज्य सभा की शोभा बढ़ाई। बाकी सभी महिलाएं छह-छह वर्ष तक ही राज्य सभा की शोभा बढ़ा पाईं। नजमा हेपतुल्ला जुलाई 2004 से लेकर 2010 तक राज्य सभा की सदस्या रहीं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद में कमी

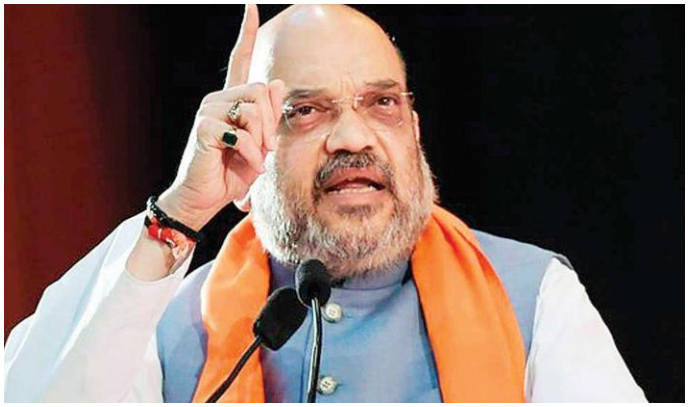

सियासत (23 मई) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी घटनाओं में 89 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार की कामयाबी है। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने से पूर्व यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास के कारण बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो गया है। त्रिपुरा में सभी आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नागालैंड की समस्या के समाधान के लिए वार्ता जारी है। पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के 9600 उग्रवादियों ने अपने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर भारत विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

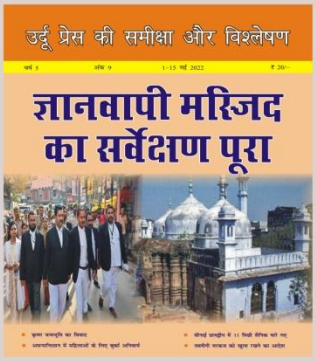

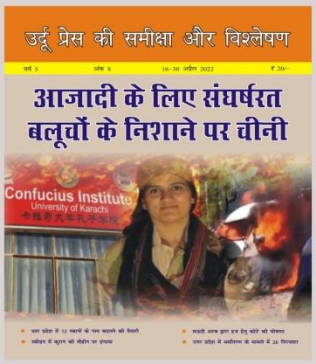

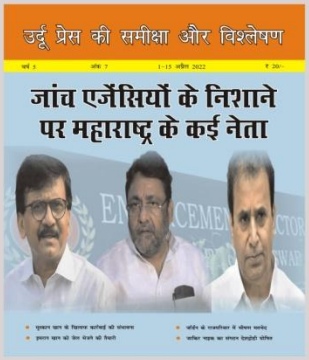

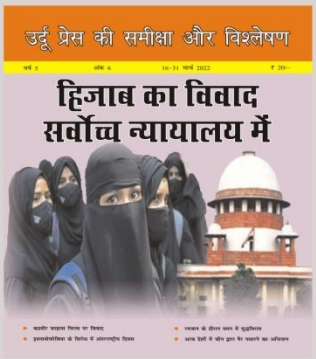

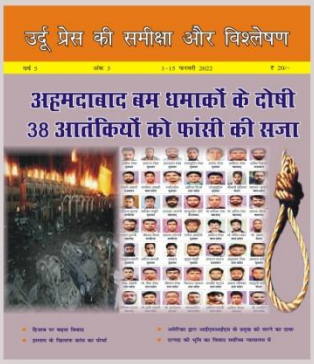

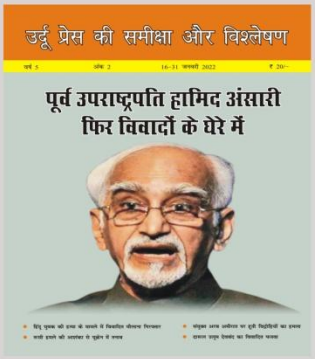

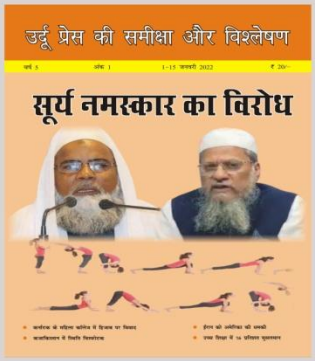

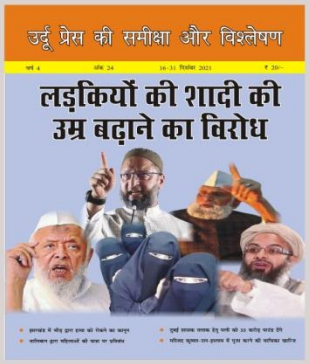

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in